बिहार राज्य आवास बोर्ड की २४२वीं बैठक

दिनांक-०५.०९.२०११

8472
16.9.11

बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1–	**श्री शशि शेखर शर्मा**, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सह अध्यक्ष, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	–	अध्यक्ष
2–	**अनुपम कुमार सुमन**, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	–	सदस्य
3–	**श्री श्याम कुमार सिंह**, सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	–	सदस्य
4–	**श्री मयंक भूषण पाठक**, अपर सचिव, योजना विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
5–	**श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता**, उप–सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना के प्राधिकृत प्रतिनिधि	–	सदस्य
6–	**श्री कुमार सर्वानन्द सहाय**, सहायक निवेशक, मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
7–	**श्री निरंजन कुमार**, मुख्य अभियंता,बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	–	सदस्य

कार्यवाही

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 242वीं बैठक दिनांक–05.09.2011 को 10:00 बजे अध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में हुई।

बैठक में निम्नलिखित कार्यावलियो पर विमर्शोपरान्त निर्णय लिये गये:–

क्रमांक	विषय	निर्णय
1	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा पटना में 37 आवासीय सह व्यवसायिक भूखंडों की निलामी की सूचना तथा सफल बोलीकर्त्ताओं को भूखंड के आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में रूपया एक करोड़ की राशि भुगतान करने संबंधी निर्णय पर बोर्ड के घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में।	घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
3	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अनिकेत गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड को श्रीकृष्णानगर में आवंटित आवासीय भूखंडों के आवंटन को रद्द करने के आदेश के घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में।	अनुमोदित। सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अनिकेत गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड को श्रीकृष्णानगर में आवंटित आवासीय भूखंडों की स्थल जाँच करा लिया जाय, कि सम्पदाओं का कितने क्षेत्रफल का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। बिल्डिंग बाई–लॉज की परिधि में तथा बोर्ड के नियमानुसार जिन सम्पदाओं का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, उसका 30 वर्षो तक का व्यवसायिक दर से गणना करा कर सूद दण्ड की राशि का भुगतान करने तथा 60 वर्षो के लिये व्यवसायिक दर पर लीज करने की सूचना दी जाय। यदि सोसाईटी के सदस्य उक्त राशि को भुगतान कर देते है और 60 वर्षो के लिये लीज करने को तैयार हो जाते है तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें बोर्ड द्वारा आवंटन किया जायेगा।

4	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आदर्श कॉ–ऑपरेटिव हाउस कन्स्ट्रकशन सोसाईटी को श्रीकृष्णानगर में आवंटित आवासीय भूखंडों के आवंटन को रद्द करने के आदेश के घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में।	अनुमोदित सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आदर्श कॉ–ऑपरेटिव हाउस कन्स्ट्रकशन सोसाईटी को श्रीकृष्णानगर में आवंटित आवासीय भूखंडों को स्थल जाँच करा लिया जाय, कि सम्पदाओं का कितने क्षेत्रफल का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। बिल्डिंग बाई–लॉज की परिधि में तथा बोर्ड के नियमानुसार, जिन सम्पदाओं का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है, उसका 30 वर्षो तक का व्यवसायिक दर से गणना करा कर सूद दण्ड की राशि का भुगतान करने तथा 60 वर्षो के लिये व्यवसायिक दर पर लीज करने की सूचना दी जाय। यदि सोसाईटी के सदस्य उक्त राशि को भुगतान कर देते है और 60 वर्षो के लिये लीज करने को तैयार हो जाते है तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें बोर्ड द्वारा आवंटन किया जायेगा।
5	बिहार राज्य आवास बोर्ड के एकाउन्ट्स के विशेष अंकेक्षण (Special Audit) के संबंध में।	अनुमोदित।
6	बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं में हुई भौतिक गड़बड़ियों, परिवर्त्तनों, संशोधनों तथा बिल्डिंग बाई–लॉज की अवहेलना की जाँच के लिए प्रोपर्टी सर्वे कराने के संबंध में।	अनुमोदित।

7	बिहार राज्य आवास बोर्ड की भावी योजनाओं की रूप रेखा बनाने के लिए पैनल पर मौजूद वास्तुकारों से कार्य लेने हेतु उन्हें भुगतेय राशि के दर अनुमोदन के संबंध में।	अनुमोदित।
8	बिहार राज्य आवास बोर्ड पर बीमा कम्पनियों के बकाये ऋण के भुगतान के संबंध में।	प्रबंध निदेशक को ऋण भुगतान करने के लिये प्राधिकृत किया गया। ऋण भुगतान की सूचना बोर्ड की अगली बैठक में दी जाय।
9	बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा एक नई टाउनशीप विकसित करने के संबंध में।	अनुमोदित। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया गया। उन्हें अध्ययन के लिए सम्भव विदेशी शहरों में भ्रमण के लिए स्वीकृति दी गयी।
10	बिहार राज्य आवास बोर्ड के सचिव की वित्तीय शक्ति सीमा रूपया 1000/- से बढाकर 15000/- करने के संबंध में।	अनुमोदित।
11	बिहार राज्य आवास बोर्ड अन्तर्गत राज्य के विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में स्थित आवासीय/ आवासीय सह व्यवसायिक/ व्यवसायिक भूखंडों को हस्तान्तरण की अनुमति दिये जाने की स्थिति में आवंटी से प्राप्त किये जाने वाली लाभांश की राशि निमित वर्ष 2011-12 के लिए बाजार मूल्य पुर्ननिर्धारण के संबंध में।	अनुमोदित।
12	हनुमाननगर, पटना स्थित निर्मित 250 मध्यम आय वर्गीय मकानों में से असम्पुष्ट मकानों के सम्पुष्टि के संबंध में।	हनुमाननगर, पटना स्थित निर्मित 250 मध्यम आय वर्गीय मकानों में से असम्पुष्ट 23 मकानों में रहने वाले आवंटी 20 वर्षो से वासित है। मामला न्यायालयों के भी विचाराधीन रहा है। चूंकि इन्हें

		नियमित करने हेतु सरकरी अधिवक्ता का भी मंतव्य था और इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त था, जैसा कि बाद में इसकी जानकारी प्राप्त हुई, साथ ही माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद् द्वारा उसे नियमित करने का निर्देश दिया गया। उक्त आलोक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। इन 23 मकानों का आवंटन विनियमित करने का निर्णय लिया गया वशर्ते कि इन मकानों के आवासितो द्वारा एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाय। यह पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा। यह निर्णय किसी अन्य योजना पर लागू नहीं होगा।
13	बिहार राज्य आवास बोर्ड के बहादुरपुर आवासीय कॉलोनी में आवंटन हेतु उपलब्ध 72 उच्च आय वर्गीय फ्लैटों का नये आरक्षण निति के तहत आवंटन के संबंध में।	सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत इसे अनुमोदित किया गया।
14	बिहार राज्य आवास बोर्ड, दरभंगा प्रमंडल स्थित लहेरियासराय में विभिन्न आय वर्ग के आवंटित परन्तु अतिक्रमित भूखंडों के बदले आवंटियों को अतिक्रमण मुक्त भूखंड आवंटन के संबंध में।	जो भूखंड अतिक्रमित आवंटित किया गया है उसके बदले अनावंटित एवं खाली भूखंडों को लॉटरी द्वारा आवंटन करने की अनुमति दी जाती है। अतिक्रमित भूखंडों से अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई की जाय।
15	जन निजी भागीदारी मॉडल पर पटना एवं बिहार के अन्य शहरों में आवासीय इकाईयों एवं व्यवसायिक भवनों के निर्माण हेतु Information memorandum का अनुमोदन।	Deloitte द्वारा तैयार किये गये Information memorandum को अनुमोदित किया गया। इस पर आई०डी०ए० की स्वीकृति प्राप्त कर सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

सूचना संख्या– 01

बिहार राज्य आवास बोर्ड में विगत महीनों में रूपया 50,000/– से अधिक और रूपया 25,00,000/– से कम व्यय की सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।	–	सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बोर्ड बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

अध्यक्ष
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना